


फर्द अहकाम

प्रकरण सं० 112023

श्री जंगल

बनाम श्री राज

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम ज हुक्त की में जारी
2011-12	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्राथमिक अनुपस्थित। वादी/प्राथमिक अनुपस्थित। प्रकरण में वकील वादी/प्राथमिक को लिखित रूप से सूचना देकर तीनों बार कावाज कागद गई, लेकिन उक्त कोर में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी/प्राथमिक पूर्व में भी अनुपस्थित रहे। वकील वादी व वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पेशी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पेशी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। अतः पत्रावली फौजदारी शुमार खेताब दर्ज गन्दाव ले काम कि जाकर कारिवाने हस्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपजुड अधिकारी हमीरगढ़ (राज.) </p>	